न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 34 / 2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शिवलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी बिलावास तहसील सोजत जिला पाली राज0	1	कमला पुत्री भेराराम
	2	गीता पुत्री भेराराम
	3	गोरधन पत्र भेराराम
	4	राकेश पुत्र भेराराम
	5	सोहनी पुत्री भेराराम जातिगण माली निवासीगण ग्राम बिलावास तह0 सोजत
	6	केवलचन्द पुत्र दमाराम
	7	खीवाराम पुत्र दमाराम
	8	दाखुदेवी पत्नी दमाराम
	9	सुकनराज पुत्र दमाराम
	10	सोहनलाल पुत्र दमाराम जाति गण माली निवासी बिलावास तहसील सोजत
	11	जितेन्द्र गोदी पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी बिलावास तहसील सोतज
	12	तहसीलदार सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवती प्रसाद चौहान सुलीन दवे , अर्जुन चौहान अधि0 वादी
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक – 14.03.24

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बिलावासे तहसील सोजत में खसरा नम्बर 2450, 2451, 2462, 2463, 2479, 2480, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2510 कुल खसरा 12 कुल रकबा 0.4600 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। वादी मौके पर व राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि को अलग करवाना चाहता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने हेतु मना करने से वादी द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया है। जिससे वादीगण शांतिपूर्वक अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग, उपभोग आराम से कर सके तथा प्रतिवादीगण भविष्य में भी वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे चूंकि सामलाती कृषि भूमि मे सभी खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है इस पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपना अपना हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का कानूनी अधिकार रखते है। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा धीनावास के खसरा नम्बर 2450, 2451, 2462, 2463, 2479, 2480, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2510 कुल खसरा 12 कुल रकबा 0.4600 हैक्टर की कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण 01 से 11 बावजुद सुचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 07.08.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से एवं मूल वाद मात्र विभाजन का होने से प्राथमिक डिक्री जारी की कर सरहद मौजा बीलावास के खसरा नम्बर 2450, 2451, 2462, 2463, 2479, 2480, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2510 कुल खसरा 12 कुल रकबा 0.4600 हैक्टर की कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2024 / 598 दिनांक 19.02.2024 के जरिये आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। अधिवक्ता वादी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति / सहमति की गई जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बिलावास के खसरा नम्बर 2450, 2451, 2462, 2463, 2479, 2480, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2510 कुल खसरा 12 कुल रकबा 0.4600 हैक्टर की कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	शिवलाल पुत्र कानाराम कौम माली सा0देह खातेदार	2451 2463, 2495 2510 2491 2492	0.06 0.07 0.02 0.01 0.02 0.02	चाही प्रथम चाही प्रथम, जाव अव्वल बंजड	2.40 2.54 0.42 0.40 0.42 0.42
	योग	6	0.200		
2.	कमला पुत्री भैराराम 1/45, गीता पुत्री भैराराम 1/45, गोरधन पुत्र भैराराम 1/45 राकेश पुत्र भैराराम 1/45, सोहनी पुत्री भैराराम 1/45, केवलचन्द पुत्र दमाराम 4/45, खीवाराम पुत्र दमाराम 4/45, दाखुदेवी पत्नी दमाराम 4/45 सुकनराज पुत्र दमाराम 4/45,	2510/1 2450 2462 2479 2480 2490 2496	0.02 0.06 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02	चाही प्रथम चाही प्रथम, जाव अव्वल बंजड	0.42 2.40 2.54 1.20 1.20 1.20 0.80

	सोहनलाल पुत्र दमाराम 4/45, जितेन्द्र दत्तक पुत्र गुलाराम 20/45 कौम माली सा0 देह खातेदार				
	योग	7	0.2600	बा0दो0	

शेष खसराजात की भूमि यथावत रहेगी।

प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.02.2024 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान्)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को सरे ईजलासं मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान्)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 34/2023

वादीगण

1. शिवलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी बिलावास तहसील सोजत जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1 कमला पुत्री भेराराम
2 गीता पुत्री भेराराम
3 गोरधन पत्र भेराराम
4 राकेश पुत्र भेराराम
5 सोहनी पुत्री भेराराम जातिगण माली निवासीगण ग्राम बिलावास तह0 सोजत
6 केवलचन्द पुत्र दमाराम
7 खीवाराम पुत्र दमाराम
8 दाखुदेवी पत्नी दमाराम
9 सुकनराज पुत्र दमाराम
10 सोहनलाल पुत्र दमाराम जाति गण माली निवासी बिलावास तहसील सोजत
11 जितेन्द्र गोदी पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी बिलावास तहसील सोतज
12 तहसीलदार सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र दवे, सुनिल दवे, अधिवक्ता तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बिलावास तहसील सोजत में सरहद मौजा बिलावास के खसरा नम्बर 2450, 2451, 2462, 2463, 2479, 2480, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2510 कुल खसरा 12 कुल रकबा 0.4600 हैक्टर की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	शिवलाल पुत्र कानाराम कौम माली सा0देह खातेदार	2451 2463, 2495 2510 2491 2492	0.06 0.07 0.02 0.01 0.02 0.02	चाही प्रथम चाही प्रथम, जाव अव्वल बंजड	2.40 2.54 0.42 0.40 0.42 0.42
	योग	6	0.200		
2.	कमला पुत्री भेराराम 1/45, गीता पुत्री भैराराम 1/45, गोरधन पुत्र भैराराम 1/45 राकेश पुत्र भैराराम 1/45, सोहनी पुत्री भैराराम 1/45, केवलचन्द पुत्र दमाराम 4/45, खीवाराम पुत्र दमाराम 4/45, दाखुदेवी पत्नी दमाराम	2510/1 2450 2462 2479 2480 2490	0.02 0.06 0.07 0.03 0.03 0.03	चाही प्रथम चाही प्रथम, जाव अव्वल बंजड	0.42 2.40 2.54 1.20 1.20 1.20

	4/45 सुकनराज पुत्र दमाराम 4/45, सोहनलाल पुत्र दमाराम 4/45, जितेन्द्र दत्तक पुत्र गुलाराम 20/45 कौम माली सा0 देह खातेदार	2496	0.02		0.80
	योग	7	0.2600	बा0दो0	

शेष खसरा यथावत रहेगें।

प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे दखलअंदाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.02.2024 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान -- मुबलिग -- बाबत --

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/03/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			